न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 40/2011 (223 आर0 टी0 एक्ट)

उनवान

1. देवीचरन } पिसरान श्री द्वारका प्रसाद } जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरावाई
2. राजबहादुर }
3. सुरेश }
4. मुस0 स्वरूपी वेवा द्वारका प्रसाद }
5. श्रीमती विमला पुत्री श्री द्वारका प्रसाद पत्नी श्री शिवराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम सामरा तहसील किरावली जिला आगरा।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मूलचन्द } पुत्र श्री केदारनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पुरावाई खेडा तहसील बयाना
2. सुभाष } जिला भरतपुर।
3. श्रीमती शकुन्तला पुत्री श्री केदारनाथ पतनी श्री क्षेत्रपाल जाति ब्राहम्ण निवासी जवाहर नगर भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।
4. श्रीमती विधा पुत्री श्री केदारनाथ पत्नी श्री शिवचरन जाति ब्राहम्ण निवासी पसौदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पो0

5. हरेत पुत्र नामालूम जाति नामालूम निवासी पुरवाईखेडा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 27.04.11 मि.नं. 39/06 उनवानी मूलचन्द बनाम हरेत वगै0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :–
1. श्री दिनेश शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 08.11.2017

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण द्वारा एक दावा वास्ते डिक्लेरेशन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि नवीन आराजी खसरा नम्बर 182 रकवा 0.16 है0, जो पुरानी आराजी खसरा नम्बर 129 रकवा 01 बीघा वाके ग्राम पुरावाई खेडा तहसील बयाना के रैस्पो0/वादीगण के पिता स्व0 श्री केदारनाथ पुत्र वनखण्डी जाति ब्राहम्ण के कब्जे काश्त व

खातेदारी की छोडी हुई आराजी है। श्री केदारनाथा का देहान्त हो गया है। उनके देहान्त के बाद रैस्पो0/वादीगण उसके पुत्र व पुत्री कानूनन वारिसान् होने के कारण वहैसियत खातेदार काश्तकार आज तक बदस्तूर काश्त व काबिज चले आ रहे हैं। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सारोकार आज तक कभी नहीं रहा है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश अथवा उनसे नाजायज मिल्लत करते हुये, रैस्पो0/वादीगण व उनके पिता की लाइल्मी में कागजात् पटवार में महज सगा भाई होने के नाते केदारनाथ के साथ–साथ श्री द्वारका प्रसाद का नाम भी दर्ज कर दिया गया है, जो वास्तविक कब्जे काश्त व कानून के विपरीत है। राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत अंकन के कारण अब अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण, नाजायज परेशान करते हैं एवं शान्ति से काश्त नहीं करने देते। अतः दावा पेश कर विवादित आराजी मुतनाजा नवीन आराजी खसरा नम्बर 182 वाके ग्राम पुरावाईखेडा तहसील बयाना के सम्पूर्ण रकवे का रैस्पो0/वादीगण को खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषाक अपीलाण्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमो के कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन डिक्री विधि विरूद्ध एंव पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्यायिक दृष्टांतो के विपरीत पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय तनकी संख्या 01 का निर्णय वहक रैस्पो0/वादीगण करने में कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने महज संवत 2019 की जमाबंदी पर विश्वास करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उनके द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि संवत 2019 के पश्चात् की जमाबंदी व खसरा गिरदावरी में अपीलाण्ट के पिता श्री केदारनाथ व रैस्पो0/वादीगण के पिता श्री द्वारका प्रसाद दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया कि इस प्रकार के इन्द्राज किस तरह दर्ज हुए। अपीलाण्ट व रैस्पो0/वादीगण के पिा सगे भाई थे। संवत 2012 के पूर्व से ही मौके पर कब्जा, बदस्तूर अपीलाण्ट व रैस्पो0/वादीगण का चला आ रहा है। इस प्रकार महज एक साल के इन्द्राज संवत 2019 की जमाबन्दी के आधार पर रैस्पो0/वादीगण को कानूनन कोई हक एवं किसी प्रकार की घोषणा नहीं की जा सकती, प्रकरण में संवत 2012 की जमाबंदी आवश्यक थी। अधीनस्थ न्यायालय को अन्तर्गत धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये निर्णय पारित करना चाहिये था। रैस्पो0/वादीगण द्वारा सभी तथ्यों को छुपाकर तहत न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था, जो अधीनस्थ न्यायालय ने महज कयासो के आधार पर डिक्री किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए, विवादित आराजी मुतनाजा पर अपीलाण्ट व रैस्पो0/वादीगण को वहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि अनुरूप सही है। रैस्पो0 के पिता श्री केदारनाथ उक्त वादग्रस्त आराजी को वहैसियत खातेदार काश्तकार संवत 2012, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एक्ट लागू होने के पहले से निरन्तर न्यारानूर काश्त करते रहे और न्यारान्यूर काबिज आराजी रहे हैं एवं जमाबन्दी संवत 2019 में श्री केदारनाथ को रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मुताबिक मौका व कब्जा काश्त दर्ज किया गया। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध व सारोकार नहीं है एंव उक्त आराजीयात को मौक पर कभी किसी हैसियत से काश्त नहीं किया गया है। राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज वास्तविक कब्जे काश्त व कानून के विपरीत है, इन गलत इन्द्राजो से अपीलाण्ट को उक्त

Web Copy - Not Official

विवादित आराजी में कोई भी हकूक खातेदारी व काश्तकारी के प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना की जाकर तनकीवार उचित ही दावा डिक्री किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस दावे को तय करने हेतु दादरसी सहित 6 तनकियॉ बनाई गई हैं। इनमें तनकी संख्या 01 महत्वपूर्ण हैं, शेष तनकियों के निर्णय तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होते हैं। तनकी संख्या 01 की समीक्षा में हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नवीनतम जमाबन्दी संवत 2061–64 के खाता संख्या 712 पर हरेत, तरतीवी रैस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1, खातेदार राहिन व असल रैस्पो0/वादीगण के पूर्व पुरूष केदार तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 6 के पूर्व पुरूष श्री द्वारका प्रसाद पिसरान वनखण्डी वहिस्सा बराबर मुर्तहीन अंकित है एवं प्रदर्श–2 जमाबन्दी संवत 2039–42 के खाता संख्या 525 पर भी इन्द्राज इसी प्रकार अंकित हैं। यह इन्द्राज असल रैस्पो0/वादीगण के दावें को पुष्ट करने हेतु अपर्याप्त हैं। क्योंकि धारा 43 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में, मुर्तहीन को अधिकार सृजित नहीं होते हैं। जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 में केदार की काश्त अंकित होना भी, असल रैस्पो0/वादीगण को खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु अपर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2019 के खाता संख्या 23 में खसरा नम्बर 129 पर केदार वल्द वनखण्डी कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार अंकित है। परन्तु संवत 2019 से 2039 के बीच राजस्व रिकार्ड में किस प्रकार, क्या–क्या परिवर्तव हुए हैं बाबत् रैस्पो0/वादी ने कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। अतः संवत 2019 का अंकन भी रैस्पो0/वादी के दावे की पुष्टि के लिए अपर्याप्त है। इसके अलावा पत्रावली पर विवादित आराजी से सम्बन्धित मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं होने के कारण, गत खसरा नम्बर 129 का हाल खसरा नम्बर 182 बनने की पुष्टि नहीं की जा सकती। उपरोक्त विवेचानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, तनकी संख्या 01 का निर्णय अपरिपक्व पाया गया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2011 निरस्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अनुसार, उभयपक्ष को पुनः समग्र साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर